	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2020

संख्या प. 4(38)कृषि/ग्रुप-2/2019 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अधिसूचित कृषि जिन्सों के क्रय विक्रय के नियमन हेतु वर्तमान कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत रोड के क्षेत्र में से पंचायत समिति, सोजत की ग्राम पंचायत बागड़ी नगर, केलवाद, हरियामाली, गुडा कलां, गुडा रामसिंह एवं सोजत रोड के क्षेत्र को छोड़ते हुए पंचायत समिति सोजत की शेष सभी ग्राम पंचायतों के क्षेत्र एवं नगरपालिका, सोजत के क्षेत्र को पृथक् कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत सिटी के नाम से स्थापित करने के आश्य की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति अथवा सुझाव पर जो इस अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाश्न की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुंचेंगे, राज्य सरकार द्वारा इन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार विमर्श किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लाल चन्द गुर्जर,
उप शासन सचिव।

5634

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।